

प्रेसनोट दिनांक 08.02.2021

1. दिनांक 07.02.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार राय थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आदर्श यादव पुत्र मंशाराम यादव नि0 जगदीशपुर थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 56/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 07.02.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्याम लाल पुत्र लालजी नि0 काजीपुर मांझा थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 36/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 07.02.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी प्रताप सिंह थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पवन कुमार पुत्र राम मिलन नि0 गालिबपुर थाना महाराजगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 37/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 07.02.21 को वादी उ0नि0 श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अक्षय कुमार पुत्र शिव बहादुर यादव नि0 रतनपुर थाना रौनाही अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 59/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 07.02.21 को वादी श्री बट्टी प्रसाद यादव पुत्र भरोसे यादव नि0 सहलारा थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोटर साइकिल चालक सुभाष यादव पुत्र बैजनाथ यादव नि0 सहलारा थाना इनायतनगर अयोध्या वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र आदित्य को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 51/21 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 07.02.21 को वादी श्री रतिपाल चौहान पुत्र कल्लू नि0 लोनियन का पुरवा सुलतानपुर थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जगजीवन पुत्र कल्लू नि0 लोनियन का पुरवा सुलतानपुर थाना पटरंगा अयोध्या आदि 04 नफर जमीनी विवाद को लेकर अभि0गण द्वारा वादी को गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना व साइकिल तोड़ देना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु0अ0सं0 23/21 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।